LAKSHMI NARAIN COLLEGE OF TECHNOLOGY
Approved by AICTE, New Delhi & An ISO 9001:2015 Certified Institute
Recognized by Govt. of M.P., Affiliated to RGPV, Bhopal (M.P.)
UG Program Accredited by NBA
Estd. 1993

एलएनसीटी/प्रशा./2022/275

दिनांक : 13-10-2022

सूचना

मुख्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल-2(अभि.)/3076/2022 दिनांक 1.10.2022 के निर्देशानुसार दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियाम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निर्देश प्राप्त हुए हैं।
(पत्र की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट-1)

अतः इस संबंध में संदर्भित पत्र में दिए गए बिन्दुवार निर्देशों का पालन गंभीरता से किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

निदेशक प्रशासन

प्रतिलिपिः-

1. कार्यालय अध्यक्ष/उपाध्यक्षा/सचिव
2. प्राचार्य - एल.एन.सी.टी.एस/एल.एन.सी.टी.ई./एल.एन.सी.पी.
3. डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन,
4. ओ.एस.डी. - एल.एन.सी.टी.एंड एस./एल.एन.सी.टी.ई.
5. डायरेक्टर - टी.एंड.पी./एम.सी.ए./एम.बी.ए./इन्क्यूवेशन
6. डीन स्टूडेंट्स वेल्फेयर
7. सभी विभागाध्यक्ष
8. रजिस्ट्रार, एल.एन.सी.टी./एल.एन.सी.टी.एंड एस./एल.एन.सी.टी.ई.
9. स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस
10. एडमिशनसेल/लायब्रेरी/स्टोर/अकाउन्ट्स/परीक्षा विभाग/वर्कशॉप/हॉस्टल वार्डन/रिसेप्शन/स्पोटर्स ऑफीसर/ट्रांसपोर्ट
11. गार्ड फाइल

www.LNCT.ac.in

पु0मु0/02 = 1

// पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल //

दूरभाष क. 0755–2570543 फैक्स न. 0755–2570543

ईमेल– aig_ptri@mppolice.gov.in

पीटीआरआई, जहांगीराबाद भोपाल पिन– 462008

क्रमांक :–पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल–2(अभि.)/3076/2022 दिनांक1. 10.2022

प्रति,

1 पुलिस आयुक्त,
जिला – भोपाल/इंदौर

2 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय :– W/P 7436/21 के संदर्भ में दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने विषयक निर्देश।

संदर्भ:– मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत W/P 7436/21 ऐश्वर्या शांड़िल्य विरूद्व म0प्र0 शासन एवं अन्य में, मुख्य सहायक ज्यूड़िशियल उच्च न्यायालय जबलपुर की प्रोसेस आई0 डी0153957 दिनांक 20/09/2022 एवं श्री हरप्रीत सिंह रूपराह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता, जबलपुर का पत्र दिनांक 27.09.2022

——00——

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि, दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नही करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निर्देश प्राप्त हुये है।

अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही गंभीरता से किया जाकर पालन प्रतिवेदन भेजे।

1. समस्त शासकीय/अर्ध शा0 एवं प्राइवेट कार्यालय में प्रमुख को पत्र लेख किया जाकर सभी कर्मचारियों को (पीलीयन राइडर सहित) हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किये जावे। हेलमेट धारण न करने वाले के विरूध्द सख्ति से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश निरूध्द करने बाबत सख्त हिदायत दिया जावे।

2. सभी स्कूल एवं कॉलेजो के प्रधान अध्यापक/प्रधान आचार्य सभी छात्र –छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करे कि, वह बच्चो को स्कूल /कॉलेज लेकर आते– जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र– छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूध्द करने बाबत् सख्त हिदायत दिया जावे। इस संबंध में लिखित निर्देश जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जारी कराई जावे ।

3. सभी पेट्रोल पम्पो पर फ्लेक्सि/बेनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करें साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेंगे ऐसे सख्त हिदायत दिया जावे ताकि सभी हेलमेट पहन कर ही पेट्रोल पम्प आवें।

4. स्थानीय निकाय जैसे – ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्टनमेन्ट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहॉ यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किंग में लगाते है, हेलमेट धारण करने पर ही उनकों वाहन पार्किंग की सुविधा दी जावे, ऐसी पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जावे।

Scanned with Oken Scanner

5. जिले में संचालित ऑटो मोबाईल शॉप पर बेनर/ फ्लेक्सि के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जावे। वाहन के विक्रय के समय सभी केताओं को हेलमेट धारण करने के उपरान्त ही शोरूम से जाने के लिए निर्देशित किया जावे।
6. समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट, मॉल आदि स्थानों पर फ्लेक्स एवं बेनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार–प्रसार करें। हेलमेट धारण न करने वाले को वाहन चालकों का उपरोक्त स्थानों पर प्रवेश वर्जित किये जाने के बारे में सख्त हिदायत दी जावे ।
7. जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे पी0ए0 सिस्टम, व्ही0एम0एस0 सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्घोषणा की जावे।
8. जिले के प्रत्येक दो थानों के बीच, एक पी0ए0 सिस्टम किराये पर लिया जाकर आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के संबंध में, लगातार व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।
9. जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।
10. स्थानीय टी0वी0 चेनलों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया और सोशल मिडिया के माध्यम से दो पहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के लिए बाध्य किया जावे तथा स्थानीय अखबारों में इस संबंध में प्रेस वार्ता का प्रकाशन भी किया जावे।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही दिनांक 05.10.22 तक पूर्ण कर प्रथम पालन प्रतिवेदन 06.10.22 तक भेजी जावे। तत्पश्चात् दिनांक 06.10.22 से 20.10.22 तक विशेष अभियान चलाकर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द कड़ाई से चालानी कार्यवाही कर प्रतिदिन की चालानी कार्यवाही से अवगत करायें। विशेष अभियान के दौरान की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रतिवेदन दिनांक 24.10.22 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक 06.10.2022 तक कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(जी0 जनार्दन) 1.10
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
पी.टी.आर.आई., पु0मु0 भोपाल

कमांक :–पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल–2(अभि.)/ /2022 दिनांक .2022
प्रतिलिपि– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिहवन आयुक्त, लीड एजेसी, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक म0प्र0।
3. समस्त रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक, म0प्र0।

(जी0 जनार्दन)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
पी.टी.आर.आई., पु0मु0 भोपाल

Scanned with Oken Scanner